न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/08/2022

साकिर पुत्र अली मौहम्मद निवासी नौहझील, वांगर जिला मथुरा, उत्तरप्रदेश।

.....प्रार्थी

वनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन रिजिड पिकअप यूपी 85 सीटी 4097 वमुकदमे एफ.आई.आर. संख्या 736/2021 अन्तर्गत धारा 5,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) थाना कामां, भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री मुकीम खान, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 16.02.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी का वाहन रिजिड पिकअप यूपी 85 सीटी 4097 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है तथा वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी के वाहन को पुलिस थाना कामां द्वारा उक्त वाहन को जव्त कर लिया है जो थाने में खुले में खडा हुआ है, जिससे वाहन के खराब होने के पूर्ण संभावना है। पुलिस थाना कामां को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नही है जवकि प्रार्थी को अपने व्यवसायिक कार्यो हेतु वाहन की आवश्यकता है। प्रार्थी अपने वाहन को सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना भली भांति करेगा तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन रिजिड पिकअप यूपी 85 सीटी 4097 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना कामां से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना कामां से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.02.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि जब्तशुदा वाहन रिजिड पिकअप यूपी 85 सीटी 4097 का स्वामी है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। थाना कामां में उक्त वाहन को गोवंश अधिनियम में जब्त किया हुआ है जो खुले में खडे रहने से वाहन के खराब होने की संभावना है। प्रकरण में भी पुलिस थाना कामां को कोई आवश्यकता नही है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है जो कि क्षमा के योग्य नही है। वाहन स्वामी के पास में कोई रवन्ना या परमिट नही था जिससे कि प्रार्थी यह सिद्ध कर सके कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना कामां की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना कामां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वाहन रिजिड पिकअप यूपी 85 सीटी 4097 में एक बैल गोवंश को गोवध के लिए ले जाना पाया गया है, वाहन स्वामी स्वंय गाडी में मौजूद था, शेष जांच का विषय है जो लम्बित है साथ ही फर्म के पास गोवंश को परिवहन करने का कोई परमिट या रवन्ना नही था इससे यह तथ्य सावित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है, जिसकी आगे भी उपयोग में लेने की संभावना रहेगी। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे उसके तथ्य प्रमाणित हो सके। प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन रिजिड पिकअप यूपी 85 सीटी 4097 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत् वाहन रिजिड पिकअप यूपी 85 सीटी 4097 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी कामां (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर